491
357

समक्ष
न्यायालय श्रीमान सदस्य म० प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर भोपाल

R 491-II-17

पुनरीक्षण याचिका कमांक : .... / 2017

जगदीश आ0 भगवतसिह, आयु 45 वर्ष,
जाति धनगर, निवासी घनश्यामपुरा, आदर्श कालोनी,
आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, म0प्र0 .. पुनरीक्षणकर्ता

|| विरूद्ध ||

1– बिन्दा बाई पत्नी मांगीलाल, आयु 40 वर्ष,
2– मांगीलाल आ0 देवीसिंह, आयु 45 वर्ष,
दोनों जाति भिलाला, निवासी आफीसर कालोनी,
आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, म0प्र0 .. प्रत्यर्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता, 1959

श्रीमानजी,

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, आष्टा के प्रकरण कमांक 19–बी / 121 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2016 के विरूद्ध निम्नलिखित तथ्यों एवं विधि आधारों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है :–

31/1/17
Rameshwar Dhangar
Ad.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/491/II/17, सीहोर जगदीश / पिन्डाबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
20/12/18	आवेदक की ओर से श्री रोमश्वर अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के प्रकरण क्रमांक 19/B-121/16-17 में पारित आदेश दिनांक 30/11/16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 03/04/19 को कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	